महीपाल V/S भवानी सिंह

05/19

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
16/8	वकुलाम्र उपर्युक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की गयी है। फैसला निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० कि है। पत्रावली अदम गवाह है बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील सं. – 05/2019

अपीलान्ट –

1. महिपालसिंह पुत्र रामकरण जाति–जाट उम्र– 26 साल
   निवासी–जौचिणा, तहसील–जायल

बनाम

रेस्पोडेन्ट –

1. भवानीसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति–राजपूत, उम्र 50 साल निवासी–जायल तहसील–जायल
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत जायल पंचायत समिति जायल जिला–नागौर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या– 5003 दिनांक 05.05.2014 ग्राम पंचायत जायल पंचायत समिति जायल

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री मुन्नीलाल कड़वासरा
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश गोदारा ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 16/8/2021

– : : निर्णय : :–

नामान्तकरण अपील का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नामान्तरकरण अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट, संख्या 1 से 3 के विरूद्ध दिनांक 05.05.2014 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5003 ग्राम पंचायत जायल को अपास्त करने करने बाबत् मय म्याद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र सहित पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी महिपालसिंह की खातेदारी का खेत खसरा नं. 3041/2519 रकबा 0.04.05 बीघा मौजा जायल में आया हुआ है। अपीलार्थी खातेदार ने अपनी घरेलू आवश्यकता के लिए दिनांक 28.03.2014 को उक्त खेत खसरा नं. 3041/2519 रकबा 0.04.05 में से प्रत्यर्थी भवानीसिंह को रकबा 0.02.02 बीघा का बैचान किया था, लेकिन नामान्तकरण भरते समय नामान्तकरण

16/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

संख्या 5003 दिनांक 05.05.2014 स्वीकृत कर बैचान रकबे 0.02.02 बीघा के स्थान पर सम्पूर्ण रकबा 0.04.05 की सम्पूर्ण भूमि गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई, जो कि गलत रूप से स्वीकृत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 5003 खारिज किया जावे तथा अपीलार्थी द्वारा जरिये बैचाननामा के विक्रय पत्र में वर्णित भूमि रकबा 0.02.02 बीघा का नये सिर से नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित करावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 जरिये सम्मन तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री गोपालराम गोदारा ने वकालातनामा तथा इकबालिया जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त हुये जो शामिल मिशल है। ग्राम पंचायत जायल से रेकर्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने ज़वाब में बताया कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण अपील में अंकित तथ्य सही होना स्वीकार है तथा अपीलान्ट के द्वारा अपील में प्रस्तुत किये तथ्य कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी से जरिये रजिस्ट्री के ग्राम जायल के खसरा नं. 3041/2519 रकबा 0.04.05 बीघा में से रकबा 0.02.02 बीघा क्रय की जिसके नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन किया परन्तु ग्राम पंचायत जायल द्वारा दिनांक 05.05.2014 को क्रय सुदा भूमि रकबा 0.02.02 बीघा के स्थान पर 0.04.05 बीघा सहवन से भूलवशः प्रस्ताव पास कर नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया, जो कि सर्वथा गलत दर्ज किया गया। अतः उक्त नामान्तकरण खारिज/निरस्त किया जाता है रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

चूकि प्रकरण हाजा में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील के तथ्यों को जरिये इकबालिया जवाब स्वीकार किया तथा ग्राम पंचायत से मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर प्राप्त हो चुका है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रकरण में परफोर्मा पक्षकार

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

संयोजित मात्र है। अतः मिसल वास्ते बहस वकुलाय की सहमति पर नियत की गई।

दौराने बहस अपीलान्ट, राजपैरोकार ने अपील के तथ्यों को दोहराया और अपील नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त होने पर धारा 05 परिसीमा अधिनियम के तहत छूट के प्रावधान के तहत पेश की है। नामान्तरकरण अपील हस्तगत प्रकरण में म्याद अधिनियम की धारा 05 के तहत छूट के बिन्दु की पूर्ति कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा स्वीकार किया जाता है। मिसल वास्ते नामान्तरकरण अपील बहस अन्तिम हेतु नियत की गई।

पत्रावली में वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण अपील में ग्राम पंचायत जायल द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 3041/2519 रकबा 0.04.05 बीघा में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को केवल 0.02.02 बीघा भूमि का ही बैचान जरिये रजिस्ट्री पंजीयक कार्यालय जायल की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 242 पृष्ठ संख्या 94 की क्रम 2014000607 दिनांक 28.03.2014 को किया गया। ग्राम पंचायत जायल ने बिना नामान्तरकरण पढे तथा बिना कानूनी जानकारी के नामान्तरकरण स्वीकृत कर 0.02.02 बीघा की जगह 0.04.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि का बिना बैचान किये ही विधि विरूद्ध व नियम विरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया।

यत् अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील नामान्तरकरण संख्या 5003 दिनांक 05.05.2014 प्रक्रियागत खामी एवं सहवन से होना प्रतीत होता है तथा उक्त नामान्तकरण को निरस्त किये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिये इकबालिया जवाब सहमति भी व्यक्त की है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 5003 दिनांक 05.05.2014 निरस्त किया जाना तथा पुनः नये सिरे से बैचान जरिये रजिस्ट्री पंजीयक कार्यालय जायल की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 242 पृष्ठ संख्या 84 की क्रम 2014000607 दिनांक 28.03.2014 में वर्णन अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

– : : आदेश : :–

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 5003 दिनांक 05.05.2014 ग्राम पंचायत जायल प्रक्रियागत खामी भूलवशः ग्राम जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 3041/2519 कुल रकबा 0.04.05 बीघा में से अपीलार्थी महिपालसिंह द्वारा रेस्पोडन्ट संख्या 1 भवानीसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी–जायल के पक्ष में बैचान किये गये रकबा 0.02.02 बीघा के स्थान पर सम्पूर्ण रकबा 0.04.05 बीघा का अंकन सहवन से तथा गलत इन्द्राज होने से निरस्त किया जाता है।

तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि ग्राम–जायल तहसील–जायल के खसरा नं. 3041/2519 रकबा 0.04.05 बीघा में से बैचान किये गये रकबे के संबंध नियमानुसार जांच करते हुये नामान्तरकरण कार्यवाही सुनिश्चित करे।

यह आदेश आज दिनांक 16/08/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

16/08/2024

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner